न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 60/2020

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी गांव व डाकखाना चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. बलविन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक 16 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अंग्रेज सिंह पुत्र गुरनायब सिंह जाति जट सिख निवासी चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बलतेज सिंह पुत्र गुरनायब सिंह जाति जट सिख निवासी चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबडा — प्रार्थीगण
2. श्री राम कुमार गोस्वामी — अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.02.2021

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ में निम्न प्रकार से दर्ज रिकॉर्ड है जिसके एकमात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थीगण है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दीयां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी संख्या 1 सुखविन्द्र सिंह के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ का खाता संख्या 72/63, मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 1 से 25 की 6.1990 हैक. कृषि भूमि अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीया संख्या 2 बलविन्द्र कौर के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ का खाता संख्या 48/44, मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 25/2 में 0.0620 हैक. कुल 3.0980 हैक. एवं मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 1/1 से 10 में 1.9230 हैक. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रार्थीगण की भूमि आपस में एवं अप्रार्थीगण की भूमि से चिपती हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का खाता संख्या 45/45, मुरब्बा नम्बर 5 में किला नम्बर 1/1 से 5/2 में 1.0890 हैक. भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 12/2 से 25/1 में 3.3060 हैक. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

जो कि प्रार्थीगण की भूमि से चिपती हुई कृषि भूमि है। प्रार्थीया संख्या 2 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का खाता संख्या 48/44, मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 1/1 से 5/2 एवं 7/2 से 10 तक कुल 1.9230 हैक. भूमि अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है जो अप्रार्थी संख्या 1 वा 2 की भूमि के साथ चिपती भूमि है। प्रार्थीगण की मुरब्बा नम्बर 2, 6 व 7 की कृषि भूमि अप्रार्थीगण की भूमि मुरब्बा नम्बर 5 की कृषि भूमि से चिपती हुई है। तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवं मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में सरकारी रास्ता स्वीकृत है एवं पक्की सड़क बनी हुई है जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 2 व 7 में जाने के लिए पूर्व अर्सा दराज से ही एवं अप्रार्थीगण के साथ परस्पर सहमति से चक 18 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3. 2. 1 एवं प्रार्थीया संख्या 2 की भूमि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3. 2. 1 से होकर अपनी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 25/1 एवं मरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5 में आ जा रहे थे एवं इससे आगे अपनी भूमि में आते जाते है एवं काश्त की व्यवस्था करते है लेकिन उक्त रास्ता स्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अक्सर परेशानी उठानी पडती है ऐसी स्थिती में मुरब्बा लाईन पर प्रार्थीगण को अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 2 व 7 में से आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में एवं मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में दो दो बिस्वा नया रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है चूंकि मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 1 से 5 में स्वयं प्रार्थीया संख्या 2 की कृषि भूमि है जिसमें खाला के साथ रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थीया संख्या 2 सहमत एवं तैयार है। चूंकि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में परस्पर सहमति से चल रहे रास्ता को अवरोधित किये जाने एवं किसी भी समय बन्द किये जाने की संभावना है इसलिये प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए उपरोक्तानुसार दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने के लिए नहीं हो सकता है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी भूमि में जाने के लिए उक्त नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। कानूनन प्रार्थीगण को उसकी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता आने जाने हेतू उपलब्ध करवाया जाना एवं स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है जिसके विकल्प में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि की ऐवज में डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा करने के लिए तैयार एवं तत्पर है एवं प्रार्थीया अपनी भूमि में से रास्ता स्वीकृत होने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहती है। मौका नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। महज राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 6 की भूमि को मध्य से तिरछा काटता हुआ किला नम्बर 1, 9, 13, 17 व 25 में एक रास्ता दर्ज है जो कि आज दिनांक तक मौका पर कभी अस्तित्व में नहीं आया एवं ना ही किसी खातेदार की भूमि के मध्य से उसकी फसल को खराब कर रास्ता का कोई वजूद ही हो सकता है। प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार ही अपनी भूमि में आ जा रहे है एवं मुरब्बा नम्बर 6 के उक्त किलाजात में पूर्ण रूप से काश्त हो रही है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतू अन्यत्र कोई विधिसम्मत रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं जो रास्ता परस्पर सहमति से उपरोक्तानुसार तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 एवं मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में चल रहा था उसमें से किसी भी समय अप्रार्थीगण के द्वारा मुरब्बा नम्बर 5 में रास्ता बन्द कर देने की संभावना है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता की ऐवज में काननी प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि मावना स्वरूप पूर्ति करने हेतू भी तैयार व तत्पर है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को कई मरतबा जाकर निवेदन किया कि वह तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में रास्ता स्वीकृत करवा लेवें एवं प्रार्थीया संख्या 2 मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में पत्थर लाईन पर खाला के साथ साथ दो दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए तैयार व तत्पर है इसलिये आप भी रास्ता स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि चिपती हुई मुरब्बा नम्बर 2 व 7 में आने जाने हेतू सुगम एवं सुविधाजनक स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो सके एवं इस हेतू प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से करने हेतू भी तैयार व तत्पर है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से दिनांक 10.06. 2020 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थीगण को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 3 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता होने के कारण मौजूदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 वा 2 की भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड, पटवार क्षेत्र 18 जैड भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में एवं प्रार्थीया संख्या 2 की भूमि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में पत्थर लाईन पर खाला के साथ साथ 2–2 बिस्वा रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत किया जाकर रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे जिससे कि प्रार्थीगण अपनी चिपती भूमि मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर सके। प्रार्थीगण विकल्प में रास्ता में आयी भूमि की पूर्ति डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि से अप्रार्थीगण को करने को तैयार है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.08.2020 को ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थीगण विकल्प में किसी भी प्रकार से भूमि अथवा मुआवजा की भी मांग नहीं करते है। अप्रार्थीगण रास्ता बन्द नहीं कर रहे हैं एंव नया रास्ता स्वीकृत होने पर किसी प्रकार का मुआवजा राशि प्राप्त करने की मांग नहीं करते है। निवेदन है कि प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु तैयार व तत्पर है, रास्ता स्वीकृत किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। लिहाजा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर नया रास्ता रिकार्ड में अंकन किये जाने पर प्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार के मुआवजा राशि की मांग नहीं करते है।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के सम्बन्ध में तहसीलदा (राजस्व) श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिर्पोट वर्तमान मे प्रार्थीगण को अपने रकबे मे आने जाने के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

लिए चक 18 जैड मु0 न0 5 व 6 किला 10 1 ता 05 के प्रत्येक 0.025 हैक0 रकबा मे से अपने रकबे मे आना जाना करता है। प्रार्थीगण के रकबा का निकटतम कटानी रास्ता चक 18 जैड के मु0न0 6 के किला न० 1–9–13–17–25 मे से गुजरता है जो कि राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत है। प्रार्थीगण को अपने खेत मे आने जाने के स्वीकृतशुदा रास्ता से चाहा गया मु0 न0 05 व 06 के किला न0 1 ता 05 प्रत्येक 0.025 हैक0 रास्ता सुविधाजनक है मौका नक्शा अवलोकनार्थ सलग्न है। प्रार्थी को अपने खेतो मे काश्त की सूविधा के लिए अपने खेत मे आने –जाने के लिए रास्ता दिया जाना अत्यत आवश्यक है।

–:: आदेश ::–

वकील उभयपक्ष द्वारा समाहित बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का आपस में राजीनामा हो चुका है एंव अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के बदले प्रार्थीगण से किसी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं की गई है। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि आने जाने हेतु तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड, पटवार क्षेत्र 18 जैड भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में एवं प्रार्थीया संख्या 2 की भूमि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 में पत्थर लाईन पर खाला के साथ साथ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.02.2021 को लिखवाया जाकर अधिवक्ता उभ्यपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner